राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एंव पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज विभाग)

क्रमांक : एफ 165(7)ले.ब./परावि/एसएफसी–6/2025–26/ **जयपुर, दिनांकः–**

मुख्य कार्यकारी अधिकारी/
अति0 मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद–समस्त।
विकास अधिकारी,
पंचायत समिति–समस्त।

विषयः–ग्रामीण सेवा शिविर 2026 12 जून, 2026 से 15 जुलाई, 2026 तक आयोजित किये जाने बाबत।

संदर्भः– मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में आयोजित बैठक दिनांक 09 जून 2026 के संबंध में राजस्व (ग्रुप–5) विभाग क्रमांकः–प.19(4) राज–5/सम/2026 राजकाज पत्रांक 22755199 दिनांक 10.06.2026 से जारी बैठक कार्यवाही विवरण के क्रम में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि जन कल्याण शिविरो के अन्तर्गत ''ग्रामीण सेवा शिविर–''2026 12 जून, 2026 से 15 जुलाई, 2026'' तक आयोजित किया जाना है। अभियान के अन्तर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर एक दिवसीय शिविर का आयोजन समय प्रातः 09:30 से सायः 06:00 तक अथवा कार्य समाप्ति तक किया जायेगा। शिविरो का आयोजन पंचायत भवन, स्कूल भवन या उपलब्ध अन्य सार्वजनिक स्थानों पर किया जावें तथा आगन्तुको के लिये पेयजल की समुचित व्यवस्था की जावें। शिविर में मेज, कुर्सियों, दरियों, पेयजल एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं ग्राम पंचायत द्वारा की जायेगीं।

उल्लेखनीय है कि षष्ठम राज्य वित्त आयोग के तहत पंचायती राज संस्थाओं को देय अनुदान राशि के उपयोग के संबंध में विभागीय पंत्राक 347 राजकाज क्रमांक 13247621 दिनांक 28.01.2025 द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के बिन्दु संख्या (अ) (3) (XIII) के अंतर्गत प्रति ग्राम पंचायत, अधिकतम राशि रु. 15,000/– का व्यय/उपयोग, षष्ठम राज्य वित्त आयोग के अंतर्गत उपलब्ध अनुदान राशि से व्यय करने की सहमति प्रदान की जाती है।

यह सहमति वित्त विभाग की आई.डी. संख्या 332601019 दिनांक 11.06.2026 द्वारा अनुमोदित है।

(डॉ. जोगा राम)
शासन सचिव एवं आयुक्त

क्रमांक : एफ 165(7)ले.ब./परावि/एसएफसी–6/2025–26/ **जयपुर, दिनांकः–**

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व (ग्रुप–5) विभाग।
3. अतिरिक्त मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ।
4. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, पंचायतीराज विभाग।
5. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास विभाग।
6. विशिष्ठ सहायक, माननीय राज्यमंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग।
7. विशिष्ठ सहायक, मा. मंत्री महोदय/मा. राज्यमंत्री राजस्व विभाग।
8. संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव महोदय।
9. अधीक्षण अभियंता, पंचायती राज विभाग।
10. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, कम्प्यूटर सेल, विभाग की बेवसाइट पर अपलोड करने हेतु।

Signature Not Verified

Digitally signed by Joga Ram
Designation : Commissioner
Date: 2026.06.11 19:16:24 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 22800006
M e-Sign